

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 24 / 2020

मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि० पूर्व में (मेन्टर इण्डिया लिमिटेड), प्रधान कार्यालय:- बी-9,
मेन्टर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1) श्री कल्याण मल जाट पुत्र श्री लादूराम जाट
- (2) श्री लादूराम जाट पुत्र श्री बालूराम जाट
- (3) श्रीमती हगामी देवी पत्नि श्री लादूराम जाट
निवासी: प्लाट नम्बर 106, माकड मोहल्ला, पानी की टंकी के पास, पोस्ट बाडी,
तहसील मसूदा, जिला-अजमेर
- (4) श्री भैरूलाल जाट पुत्र श्री शम्भूलाल जाट
निवासी:- प्लाट नम्बर 249, खेडा बाडी, विजयनगर, तहसील मसूदा,
जिला-अजमेर

.....अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसटक्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपरिथत :-

सुरज शर्मा

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 07.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण
01 लगायात 03 को दिनांक 24.03.2017 को रू. 17,00,000/- (अक्षरे सतरह लाख
मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक
दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम बाडी, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर के खसरा नं०
1626/1 पर स्थित अचल सम्पत्ति, क्षेत्रफल 300 वर्गगज, पट्टा संख्या 03555, जो श्री
लादूराम जाट पुत्र श्री बालूराम जाट के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के
पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का
भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और
दिनांक 20.05.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा
13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 04.09.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस
रूपये 17,61,690/- (अक्षरे सत्रह लाख ईकसठ हजार छः सौ नब्बे रूपये) का जारी
किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक
की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया
है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial
assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के
तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी



S. Sharma
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम बाडी, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर के खसरा नं० 1626/1 पर स्थित अचल सम्पत्ति, क्षेत्रफल 300 वर्गगज, पट्टा संख्या 03555, जो श्री लादू राम जाट पुत्र श्री बालूराम जाट के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को सुनाया गया।



Shiv Mohan Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर